# यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

01/2020

उनवान

1. कालूराम पुत्र गंगाराम जाट, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रवण कुमार पुत्र महादेव प्रसाद लाम्बा, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी लाम्बा की ढाणी रेलवे स्टेशन रोड कस्बा चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. लालाराम पुत्र गंगाराम उम्र 60 वर्ष, जाति जाट निवासी भूरावाली ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. ग्यारसीलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी भूरावाली ग्राम जाहोता तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील गोविन्दगढ, जिला जयपुर।

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956**

**निर्णय दिनांक–10.01.2020**

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम धोबलाई पटवार हल्का धोबलाई भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगोदखुर्द तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 468 जिसके आराजी ख0नं0 1287 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1288 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1297 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1299 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.11 है0 भूमि के संपूर्ण भाग की खातेदारी प्रार्थी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, तथा भूमि खाता सं0 469 जिसके आराजी ख0 नं0 2200/1301 रकबा 2.9576 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 2.9576 है0 जिसमें प्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 21/100 भाग, प्रार्थी सं0 2 का हिस्सा 29/50 भाग एवं प्रार्थी सं0 3 का हिस्सा 21/200 भाग एवं प्रार्थी सं0 4 का हिस्सा 21/200 भाग निहित है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि के चारों ओर अर्से दराज से कच्ची सींव डोल बनाकर बतौर खातेदार काबिज होकर अर्से दराज से हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, उक्त भूमि को प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में "भूमि विवादग्रस्त" के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थीगण की विवादग्रस्त खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि में बोई गई फसलों को आवारा गाये, जानवर पशु आये दिन नुकसान कारित करते रहते हैं, साथ ही पडौसी खातेदारान जो कि आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की गरज से सींवडोल को फोडकर अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करते रहते हैं, तथा फसलों में घुस कर नुकसान पहुंचाने की गरज से तारबन्दी को तोडकर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा रहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा हो सके इस कारण प्रार्थीगण ने विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक एल.आर/2019/72–73 दिनांक 05.11.2019 को जारी किये गये। इस क्रम में पटवारी हल्का धोबलाई द्वारा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 05.11.2019 की पालना में दिनांक 07.11.2019 को मौके पर जाकर जांच की गई तथा सही पाकर सीमाज्ञान किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई, तथा मौका रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् गवाहान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट में ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर सीमाओं को फर्द मौके के साथ मौका रिपोर्ट में दर्शित किया। प्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार महोदय चौमूं को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु बार–बार जाने के पश्चात भी आज तक तहसीलदार महोदय द्वारा पत्थरगढी नही की गई तथा अन्ततः प्रार्थीगण को तहसीलदार महोदय द्वारा पत्थरगढी करने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी के कार्यालय में कई बार प्रार्थना पत्र दिये परन्तु तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं की गई, एवं दिनांक 03.01.2020 को तहसीलदार

Scanned by CamScanner

दय चौमूं ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी करने से साफ इन्कार करते हुये कहा कि यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी के आदेश करवाओं, उसके बाद ही थरगढी होगी। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण । प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धोबलाई पटवार हल्का धोबलाई भू.अ.नि. क्षेत्र ंगोदखुर्द तहसील चौमं जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 468 जिसके आराजी ख0नं0 287 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1288 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 1297 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1299 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.11 है0 एवं आराजी ख0 नं0 2200/1301 रकबा 2.9576 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 2.9576 है0 भूमि संपूर्ण की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.11.2019 को तहसीलदार चौमूं के आदेश की पालना में पटवारी द्वारा किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 07.11.2019 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह) भारो
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.07 13:46:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: